

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

### ॥ शुद्धि पत्र ॥

वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या-36 दिनांक-13.05.2026 की कंडिका-04 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

माँग संख्या- 48, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217037890102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/सड़क-16-21/2025

5606

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/5/26

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना (ले० एवं ह०)/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, मोतिहारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 04 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।